

विज्ञापन

भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र
इंदौर, मध्य प्रदेश
विज्ञापन संख्या - आरआरकेट - 1/2018

आरआरकेट ट्रेड प्रशिक्षुता (अपरेंटिसशिप) योजना (तसर) में अपरेंटिस अधिनियम 1961 के तहत ट्रेड प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण

तिथि: 20 जून, 2018

1. राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र (आरआरकेट), इन्दौर, मध्य प्रदेश में **अपरेंटिस अधिनियम, 1961** और **अपरेंटिसशिप नियम, 1992** के वर्तमान प्रावधानों के तहत 50 ट्रेड प्रशिक्षुओं (अप्रेन्टिस) के प्रशिक्षण के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। बैच के शुरू होने की तिथि **15 अक्टूबर, 2018** है। तालिका -1 में सूचीबद्ध सभी ट्रेडों के लिए शिक्षुता की अवधि 1 वर्ष है।
2. इसके लिए केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे जो आरआरकेट अपरेंटिसशिप पोर्टल के माध्यम से भरे जा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की सुविधा **आरआरकेट अपरेंटिसशिप पोर्टल** पर 20/06/2018 के 10:00 बजे से 10/08/2018 के 15:00 बजे तक उपलब्ध होगी।
3. अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़े वर्गों के गैर-मलाईदार परत (ओबीसी-एनसीएल) लिए आरक्षण अपरेंटिसशिप नियम 1992 के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार होगी।
4. ऐसा प्रयास किया जाएगा कि प्रत्येक ट्रेड में भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए (गैर-मलाईदार परत) के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या अपरेंटिसशिप नियम 1992 के मौजूदा प्रावधानों में सुझाए गए अनुपात / प्रतिशत के अनुसार हो। किन्तु यदि किसी ट्रेड में प्रशिक्षण स्थानों की संख्या कम है तो इसे लागू करना हमेशा संभव नहीं होगा। ऐसे मामलों में प्रशिक्षण स्थानों का आरक्षण सभी नामित ट्रेडों में प्रशिक्षुओं की कुल संख्या के आधार पर किया जाएगा। **50 प्रशिक्षण स्थानों में से 7 अनुसूचित जाति के लिए, 10 अनुसूचित जनजाति के लिए, तथा 7 अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-मलाईदार परत) के लिए आरक्षित हैं।**
5. जब अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित उम्मीदवारों की निर्धारित संख्या उपलब्ध नहीं होगी तो अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थानों को अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा भरा जा सकेगा, या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों को अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों द्वारा भरा जा सकेगा। किन्तु इस प्रकार की व्यवस्था के वावजूद भी कुछ प्रशिक्षण स्थान नहीं भरे जा सकें तो इन खाली बचे प्रशिक्षण स्थानों को ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा भरा जा सकता है जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के नहीं हैं।
6. यदि अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-मलाईदार परत) के लिए आरक्षित प्रशिक्षण स्थान अन्य पिछड़े वर्ग (गैर-मलाईदार परत) के अभ्यर्थियों द्वारा नहीं भरे जा सकें तो इन खाली पड़े प्रशिक्षण स्थानों को ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा भरा जा सकता है जो अन्य पिछड़े वर्ग के नहीं हैं।
7. **आयु सीमा: 15/10/2018 को 18 वर्ष से 22 वर्ष तक। 15/10/2018 को अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-मलाईदार परत) के लिए अधिकतम आयु 25 वर्ष है तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए अधिकतम आयु 27 वर्ष है।**

8. वृत्तिका (स्टाइपेन्ड) की राशि: सभी प्रशिक्षुओं को अपरेंटिसशिप नियम 1992 द्वारा विनिर्दिष्ट वृत्तिका दी जाएगी। वर्तमान में यह वृत्तिका सभी प्रशिक्षुओं के लिए, चाहे वे किसी ट्रेड के हों, 7200 रूपए प्रति माह है।
9. अप्रेंटिस पंजीकरण: सभी अभ्यर्थियों को एनएपीएस पोर्टल (www.apprenticeship.gov.in) पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
10. नीचे दी गयी सारणी में सभी नामित ट्रेड तथा उनमें प्रशिक्षुओं की संख्या दी गयी है:

तालिका -1: ट्रेड, प्रशिक्षण-स्थान तथा न्यूनतम योग्यता की सूची

#	नामित ट्रेड	प्रशिक्षण स्थानों की संख्या	योग्यता - निम्नलिखित ट्रेड में आईटीआई उत्तीर्ण हो
1.	फिटर	14	फिटर
2.	मशीनिस्ट	3	मशीनिस्ट ट्रेड
3.	टर्नर	4	टर्नर
4.	ड्राफ्ट्समैन (मैकेनिकल)	4	ड्राफ्ट्समैन (मैकेनिकल)
5.	इलेक्ट्रिशियन	8	इलेक्ट्रिशियन
6.	इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक	9	इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक
7.	वेल्डर (गैस और इलेक्ट्रिक)	2	वेल्डर
8.	प्रशीतन और एयर कंडीशनिंग मैकेनिक	2	प्रशीतन और एयर कंडीशनिंग मैकेनिक
9.	मेसन (भवन निर्माता)	1	मेसन (भवन निर्माता)
10.	सर्वेयर	1	सर्वेयर
11.	नलसाज (प्लम्बर)	1	नलसाज (प्लम्बर)
12.	सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्रणाली रखरखाव	1	सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्रणाली रखरखाव
	कुल	50	

11. आवेदन प्रक्रिया

- (क) राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र के अप्रेन्टिस पोर्टल पर छलपूर्वक अथवा जान-बूझकर गलत सूचना प्रस्तुत करना गंभीर आपराधिक कृत्य है और यह भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों की श्रेणी में आता है। इसलिए सख्त सलाह है कि इस प्रकार के प्रयास न किए जाने चाहिए।
- (ख) कोई भी प्रविष्टि करने या किसी भी विकल्प को चुनने के पहले उम्मीदवार को विज्ञापन में दिए गए सामान्य निर्देशों को ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय अभ्यर्थी सभी आवश्यक विवरण भरें (अधूरा विवरण नहीं)।
- (ग) नाम और जन्मतिथि वही भरनी चाहिए जो माध्यमिक विद्यालय प्रमाणपत्र / 10वीं की परीक्षा के प्रमाणपत्र में अंकित हो।
- (घ) आवेदन पत्र भरने से पहले, अभ्यर्थियों को चाहिए कि वे 300 किलोबाइट में, jpg / pdf प्रारूप में, निम्नलिखित दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतिलिपि तैयार रखें।

(अ) जन्म तिथि का प्रमाण-पत्र

(आ) 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा का अंकपत्र / प्रमाणपत्र

(इ) आईटीआई अंकपत्र और नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट

(ई) आधार कार्ड

(उ) पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो

(ऊ) हस्ताक्षर

(ए) जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

(ऐ) विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

(ड) अभ्यर्थी को अपने पास उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार व्यक्तिगत, शैक्षिक और अन्य विवरण भरना होगा।

(च) पोर्टल पर आवेदन जमा करने के बाद आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन / सुधार के लिए किए गये किसी भी अनुरोध पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि 'सबमिट' बटन पर क्लिक करने से पहले वे जाँच लें कि भरे गये सभी विवरण सही हैं। गलत सूचना देने पर अभ्यर्थी को अपात्र घोषित कर दिया जाएगा।

(छ) अंतिम जमा (सबमिशन) के बाद, आवेदन पत्र सिस्टम द्वारा उत्पन्न किया जाएगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन पत्र की सॉफ्ट कॉपी को सहेज लें (सेव कर लें) और सिस्टम द्वारा उत्पन्न आवेदन पत्र का प्रिंटआउट ले लें तथा इसे भविष्य के संदर्भ के लिए तैयार रखें।

(ज) दस्तावेजों के भौतिक सत्यापन के समय अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र का प्रिंटआउट भी लाना होगा।

(झ) गलत / अधूरा ऑनलाइन आवेदन संक्षिप्त विचारणा से ही अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

12. चयन प्रक्रिया

आवेदन पत्रों की छंटनी निम्नलिखित आधार पर की जाएगी:

(क) अभ्यर्थी, वर्तमान शैक्षिक वर्ष में या पिछले शैक्षिक वर्ष में, आईटीआई उत्तीर्ण कर चुके होने चाहिए। जिन अभ्यर्थियों ने उससे पहले आईटीआई उत्तीर्ण किया है, वे आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।

(ख) अभ्यर्थियों को तालिका-1 में उल्लिखित ट्रेडों में से केवल एक के लिए आवेदन करना है। अभ्यर्थी के पास तालिका -1 के अंतिम कॉलम में उल्लिखित संबंधित ट्रेड में आईटीआई प्रमाण पत्र होना चाहिए।

(ग) राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र शिक्षुता रिक्तियों की कुल संख्या को 25% तक बढ़ाने का अधिकार रखता है। किन्तु यह संख्या आरआरकेट के कर्मचारियों की कुल संख्या के 10% से कम होगी।

(घ) आईटीआई में प्रवेश लेने से पहले अभ्यर्थी 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा को अवश्य उत्तीर्ण किया होना चाहिए तथा उस परीक्षा में कुल अंकों के कम से कम 50% अंक अवश्य प्राप्त किया होना चाहिए।

(ङ) मेरिट सूची, 'आईटीआई में अंकों के प्रतिशत का एक तिहाई' और '10 वीं कक्षा में अंकों के प्रतिशत के दो तिहाई' के योग के आधार पर तैयार की जाएगी। इस योग को दशमलव के दो स्थानों तक पूर्णांकित (round off) किया जाएगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के योग समान आ गये तो उस अभ्यर्थी को उच्चतर रैंक दिया जाएगा जिसका 10 वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में अंकों का प्रतिशत अधिक हो।

(च) पहली योग्यता सूची **17/08/2018 को 1300 बजे** आरआरकेट के शिक्षुता पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी। विभेदक संख्या (कट-ऑफ) भी घोषित की जाएगी।

(छ) पहली योग्यता सूची में जिन अभ्यर्थियों का नाम आया है उन्हें योग्यता सूची की घोषणा के 3 दिन के भीतर दस्तावेज सत्यापन में अपनी भागीदारी की पुष्टि करनी होगी। इस पुष्टि के लिए आरआरकेट अपरेंटिसशिप पोर्टल पर एक लिंक प्रदान की जाएगी।

(ज) उपरोक्त भागीदारी की पुष्टि तथा रिक्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए दिनांक **27/08/2018 को 13:00 बजे** एक दूसरी और अंतिम योग्यता सूची प्रकाशित की जाएगी जिसमें प्रथम योग्यता सूची के वे अभ्यर्थी भी शामिल होंगे जिन्होंने दस्तावेज सत्यापन में अपने भागीदारी की पुष्टि कर दी होगी।

(झ) जिन अभ्यर्थियों का नाम दूसरी योग्यता सूची में आया होगा उन्हें दिनांक **01/10/2018 को 10:00 बजे** व्यक्तिगत रूप से आरआरकेट में दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित होना होगा। निम्नलिखित दस्तावेज भौतिक रूप से सत्यापित किए जाएंगे:

(अ) 10 वीं बोर्ड परीक्षा की अंकसूची और प्रमाण-पत्र

(आ) आईटीआई की अंकसूची तथा नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट

(इ) जाति प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)

(ई) विकलांगता प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)

(उ) आधार कार्ड

(ऊ) आधार कार्ड पर उल्लिखित पते का पुलिस सत्यापन का प्रमाण-पत्र।

(ए) बचत बैंक पास बुक और खाता संख्या

(ऐ) राष्ट्रीय शिक्षुता पोर्टल पर पंजीकरण पुष्टिकरण ईमेल की कागजी प्रतिलिपि (हार्ड कॉपी)

(ओ) ऑनलाइन आवेदन पत्र की कागजी प्रतिलिपि

(औ) उपरोक्त सभी दस्तावेजों की स्वयं प्रमाणित फोटोकॉपी

(अं) हाल ही में ली गयीं, पासपोर्ट आकार वाली दो तस्वीरें।

(ज) अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा **3 अक्टूबर, 2018 से 6 अक्टूबर, 2018** तक आयोजित की जाएगी।

(ट) दस्तावेजों के भौतिक सत्यापन और चिकित्सा परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों उसी समय प्रस्ताव पत्र जारी किए जाएंगे। अभ्यर्थी को उसी समय तुरन्त प्रस्ताव को स्वीकार / अस्वीकार करना होगा।

(ठ) आरआरकेट को दूसरी (अंतिम) योग्यता सूची में 50% तक अधिक अभ्यर्थियों को रखने का अधिकार है। ऐसा करना इसलिए आवश्यक है ताकि यदि कुछ अभ्यर्थी दस्तावेजों के भौतिक सत्यापन के लिए नहीं आते हैं, या उनके दस्तावेज सही नहीं पाए गये या वे प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं; तो योग्यता सूची में उनके बाद आने वाले अभ्यर्थियों को अविलम्ब अवसर दिया जा सके।

(ड) यदि किसी अभ्यर्थी के दस्तावेज ठीक पाए जाते हैं लेकिन वह प्रस्ताव प्राप्त करने में विफल रहता है; तो उसे प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों को एक अस्थायी आशय पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा कि यदि उन्हें बाद की तारीख में प्रशिक्षु प्रशिक्षण बैच में शामिल होने का अवसर दिया जाता है तो उन्हें यह स्वीकार्य है।

(ढ) अभ्यर्थियों को **8 अक्टूबर, 2018** को आरआरकेट में रिपोर्ट करना तथा शिक्षुता कार्यक्रम में शामिल होना होगा अन्यथा उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी और माना जाएगा कि उनको दिया गया प्रस्ताव वापस ले लिया गया है। इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।

(ण) यदि सभी रिक्तियाँ भरी न जा सकीं तो निम्नलिखित स्थितियों में प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों को शिक्षुता बैच में शामिल होने के लिए बुलाया जाएगा- (अ) उम्मीदवारी वापस लेना, या (आ) अगर कुछ उम्मीदवार जिन्होंने पहले प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है लेकिन 8 अक्टूबर, 2018 को आरआरकेट में नहीं आये। प्रतीक्षा सूची से बुलाए गये अभ्यर्थियों को शिक्षुता कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 7 दिन का समय दिया जाएगा।

(त) बैच के शुरू होने के 10 दिनों के बाद प्रतीक्षा सूची समाप्त हो जाएगी और उसके बाद शिक्षुता बैच में कोई नया अभ्यर्थी नहीं लिया जाएगा।

13. सामान्य निर्देश

- (क) उम्मीदवारों के साथ कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।
- (ख) किसी भी रूप में पक्ष-प्रचार (कैनवासिंग) करने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
- (ग) दस्तावेजों के भौतिक सत्यापन में भाग लेने के लिए, या शिक्षता कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, कोई यात्रा भत्ता / महंगाई भत्ता नहीं दिया जाएगा।
- (घ) यह सहभागिता और प्रशिक्षण, अपरेंटिस अधिनियम 1961 तथा अपरेंटिसशिप नियम 1992 के प्रावधानों का पूर्णतः अनुपालन करता है।
- (ङ) आरआरकेट में शिक्षता प्रशिक्षण पूरा करने का आरआरकेट में रोजगार से कोई सम्बन्ध नहीं है। आरआरकेट में रोजगार की प्रक्रिया अलग तरह से आयोजित होती है जिसमें प्रशिक्षु भाग ले सकता है, यदि वह योग्य है।
- (च) जो लोग पहले से ही अन्यत्र ट्रेड शिक्षता में भाग ले चुके हैं, उन पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (छ) चयनित उम्मीदवारों की चिकित्सा परीक्षा आरआरकेट स्वयं आयोजित करेगा। यह माना जाएगा कि जिस अभ्यर्थी ने आरआरकेट में ट्रेड प्रशिक्षु के लिए आवेदन किया है, उसे यह शर्त स्वीकार है।
- (ज) प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रशिक्षुओं को आवास प्रदान नहीं किया जाएगा। प्रशिक्षु अपने आवास की व्यवस्था स्वयं करेंगे। आरआरकेट, इन्दौर शहर के नगरपालिका क्षेत्र में स्थित है और आस-पास के क्षेत्रों में साझा / व्यक्तिगत आवास आसानी से उपलब्ध हैं।
- (झ) प्रशिक्षुओं को अपने आने-जाने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
- (ञ) आरआरकेट परिसर में उपदानित (सब्सिडाइज्ड) / मुफ्त भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है।
- (ट) आरआरकेट ट्रेड प्रशिक्षण के संचालन के साथ-साथ इसका मूल्यांकन भी करेगा जिसकी आवृत्ति और अवधि प्रशिक्षण-इन-चार्ज तय करेंगे। प्रशिक्षुओं को 'ऑन-जॉब व्यावहारिक प्रशिक्षण' के समय अपने ट्रेड को सीखने की इमानदार कोशिश करनी चाहिये तथा समय-समय पर होने वाले आकलन में संतोषजनक प्रदर्शन करना चाहिए। यह माना जाता है कि ट्रेड प्रशिक्षुओं के पास वह कौशल विद्यमान है जिसे उन्होंने अपने आईटीआई प्रशिक्षण के दौरान सीखा था। आन्तरिक मूल्यांकन में यदि किसी ने लगातार खराब प्रदर्शन किया तो शिक्षता अधिनियम 1961 और अपरेंटिसशिप नियम 1992 के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार शिक्षता को समाप्त किया जा सकता है।
- (ठ) शिक्षण का माध्यम हिंदी / अंग्रेजी होगा। शिक्षण का माध्यम कुछ भी हो किन्तु शिक्षण के दौरान दौरान आम तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकी शब्दावली का उपयोग किया जाएगा।
- (ड) आरआरकेट, भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग का एक प्रतिष्ठान है। यह परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 जैसे विशेष प्रावधान द्वारा शासित है। इसके कर्मचारी असैनिक कर्मचारी हैं और उपर्युक्त अधिनियम तथा केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम 1964 से बद्ध हैं। आचरण और अनुशासन के सभी मामलों में, प्रशिक्षु आरआरकेट में प्रचलित नियमों और विनियमों द्वारा शासित होगा।

- (ढ) प्रशिक्षु के अनादर करनेवाला, लड़ाकू, बेईमान, बिलम्बकारी और पलायनवादी व्यवहार से इस प्रशिक्षण योजना के परिणाम बाधित होंगे। इसलिए, यदि ऐसी चीजें आरआरकेट प्राधिकारियों के ध्यान में लायी जाती हैं तथा तीन आधिकारिक ज्ञापन (मेमो) देने के बाद भी प्रशिक्षु स्वयं को सही नहीं करता है तो उसकी शिक्षुता को प्रशिक्षु सलाहकार के परामर्श से समाप्त किया जा सकता है।
- (ण) यदि प्रशिक्षु द्वारा अनुबन्ध की शर्तों को पूरा न करने के कारण शिक्षुता का अनुबन्ध समाप्त किया जाएगा, उस स्थिति में प्रशिक्षु नियोक्ता को प्रशिक्षण के मूल्य के रूप में उतनी धनराशि वापस देगा जितनी अप्रेंटिस सलाहकार तय करेंगे। ऐसी स्थिति में, अप्रेंटिसशिप अधिनियम 1961 के अनुसार, ऐसे प्रशिक्षु किसी भी अन्य नियोक्ता के साथ अप्रेंटिसशिप के दूसरे अनुबन्ध में प्रवेश करने के हकदार नहीं होंगे।
- (त) प्रशिक्षण की अवधि पूरी करने वाले सभी प्रशिक्षु नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग (एनसीवीटी) संचालित अखिल भारतीय ट्रेड परीक्षा (ए आई टी टी) देंगे ताकि वे जान सकें कि जिस ट्रेड में उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है उसमें वे कितने प्रवीण हैं।
- (थ) एआईटीटी उत्तीर्ण करने पर एनसीवीटी द्वारा ट्रेड में प्रवीणता का प्रमाण-पत्र दिया जाएगा।

सहायक कार्मिक अधिकारी (भर्ती)